अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

गीता देवी बनाम गिरधारी वगै0

किस्म मुकदमा– दावा

मु0नं0– 435/2016

पीठासीन अधिकारी– श्री यशवन्त मीना (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.04.2024	पत्रावली पेश। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वादीया अधिवक्ता द्वारा प्रा0 पत्र आदेश 7 नियम 14 जा0दी0 पेश किया गया। बहस प्रा0 पत्र आदेश 7 नियम 14 जा0दी0 सुनी गई। वादीया अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि प्रा0 पत्र के संलग्न दस्तावेजात वादपत्र के निर्णय एवं वादीया के वादपत्र को साबित करने के लिए अहम दस्तावेजात है तथा प्रतिवादीगण द्वारा दौरान साक्ष्य यह कथन किया गया है कि बदरी प्रसाद की शादी ही नही हुई एवं बदरी के संतान नहीं होने का अभिकथन किया है। इसलिए प्रतिवादीगण के अभिकथन के खण्डन के लिए एवं वादीया को प्रतिरक्षा का समुचित अवसर प्रदान करते हुए वादीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दस्तावेजात शामिल पत्रावली किया जावे। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस का मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय की राय मे वादीया द्वारा पेश दस्तावेजात वादपत्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण दस्तावेज है इसलिए वादीया का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 14 जा0दी0 स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। इसलिए प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 14 जा0दी0 स्वीकार जाकर दस्तावेजात शामिल पत्रावली किए जाते है। तत्पश्चात बहस दावा सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय वादपत्र दिनांक 24.04.2024 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)	
24/4/24	पत्रावली पेश हुई, वकीलो द्वारा कार्य स्थगन/P.O. या राज्य कार्य में व्यस्त/दौरे पर होने पे जनरल तारीख पेशी लगा दी गई। पत्रावली दिनांक 26/04/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
26/04/24	पत्रावली निर्णय हेतु पेश। दलील उभयपक्ष सुनी। दावा वादिया साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)	